



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 109 - विनियम एवं काविनी-29 / पाकालि / 23-5- विनियम / 2011

दिनांक 27 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की दिनांक 14.02.2023 को सम्पन्न 189(10)वीं बैठक में प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुपालन में उ0प्र0 शासन, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना सं0 375/91-2013 दिनांक 27.11.2013 की सेवा सं0-10 (क्रम सं0-6) को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति सं0 134-विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-5-विनियम/11 दिनांक 04.11.2011 (क्रमांक 1.1 से 1.6) द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की जन सेवा गारन्टी विनियम-2011 (यथा संशोधनो सहित)" एवं तत्क्रम में अन्य जनसेवाओं हेतु निर्गत का0ज्ञा0सं0 29-विनियम एवं काविनी/पाकालि/15 दिनांक 25.03.15 (क्रमांक 1.7) एवं का0ज्ञा0सं0 945-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2022 दि0 10.11.22 (क्रमांक 1.8) के अनुक्रम में, जन सेवा गारन्टी विनियम-2011 के परिशिष्ट-अ के क्रमांक-1.9 के रूप में एतद्वारा निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है :-

क्रम सं0	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	(i) पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	सम्बन्धित अधिष्ठान के पदाभिहित अधिकारी	60 दिवस	सम्बन्धित अधिष्ठान के पदाभिहित अधिकारी से एक स्तर ऊपर यथा अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष	30 दिवस	प्रथम अपीलीय अधिकारी से एक स्तर उच्च यथा मुख्य अभियन्ता /अपर सचिव अथवा समकक्ष	30 दिवस	उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 की अधिसूचना सं0-375/91-2013 दिनांक 27.11.13 के क्रम सं0-06 (सेवा सं0-10) के अन्तर्गत सभी विभागों के लिये लागू सेवाओं/प्रकरणों के निस्तारण हेतु।
	(ii) जी0पी0एफ0/ सी0पी0 एफ0 स्वीकृति पर निर्णय	अधिष्ठान के पदाभिहित अधिकारी	30 दिवस		15 दिवस		15 दिवस	
	(iii) चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	यथा अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/उपसचिव अथवा समकक्ष	15 दिवस		15 दिवस		15 दिवस	
	(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)		60 दिवस		30 दिवस		30 दिवस	
	(v) प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय		30 दिवस		30 दिवस		30 दिवस	
	(vi) उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय		15 दिवस		07 दिवस		07 दिवस	
	(vii) वेतन भुगतान पर निर्णय		15 दिवस		07 दिवस		07 दिवस	
	(viii) गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय		30 दिवस		30 दिवस		30 दिवस	
	(ix) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर स्वीकृति		90 दिवस		30 दिवस		30 दिवस	
	(x) मृतक आश्रित नियुक्ति (समान्य मामलों में) पर निर्णय		90 दिवस		30 दिवस		30 दिवस	

2. उक्त आदेश निर्गमन तिथि से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य सहयोगी कम्पनियों में प्रभावी माना जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 109 --(1)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/23 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(2)

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की 189(10) बैठक में प्राप्त निर्णय के अनुपालन हेतु सूचनार्थ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

21.3.1

(राज कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम)

